Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में इंटरनेट शटडाउन का मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में विश्लेषात्मक अध्ययन

विजय लक्ष्मी जोशी*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, और किसी भी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र को तानाशाही बनने से रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। यह निष्पक्ष एवं पारदर्शी लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। प्रसिद्ध पाश्चात्य कवि जॉन मिल्टन ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को बताते हुए कहा है कि–

"Give me the liberty to know, to argue freely, and to utter according to conscience, above all liberties."

- John Milton

पिछले कुछ सालों से भारत में लॉ एवं ऑर्डर बनाए रखने, धरना प्रदर्शन रोकने एवं सांप्रदायिक हिंसा को रोकने एवं परीक्षा में नकल को रोकने एवं अन्य कारणों से सरकार द्वारा इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है। दुनिया में हुए इंटरनेट शटडाउन में भारत गत पाँच वर्षो से लगातार शीर्ष पर बना हुआ है, यहि कारण हैं कि भारत को विश्व की **'इंटरनेट शटडाउन की राजधानी'** कहा जाता हैं। 2016 से 2022 तक पूरे विश्व में इंटरनेट शटडाउन के कुल मामलों में 60 प्रतिशत केवल भारत के थे। इंटरनेट शटडाउन के पीछे सरकार द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने, विधि व्यवस्था बनाए रखने, नागरिक अशांति एवं विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है वही दूसरी तरफ इंटरनेट शटडाउन को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी माना जाता है। इंटरनेट शटडाउन के विरूद्ध याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायपालिका द्वारा इंटरनेट के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बताया गया था, वही एक अन्य मामलें में इंटरनेट शटडाउन को अनुच्छेद 21 के अधीन शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताया गया तथा न्यायालय द्वारा यही भी कहा गया कि सरकार द्वारा इंटरनेट बंदी के औचित्य को स्पष्ट किया जाना जरूरी है। प्रस्तुत शोध पत्र में इंटरनेट शटडाउन को परिभाषित कर उसके प्रकार, प्रभाव, संबंधित विधि एवं इंटरनेट शटडाउन के पक्ष एवं विपक्ष में दिए जाने वाले तर्कों का संक्षिप्त वर्णन किया गया हैं तथा सरकार द्वारा इंटरनेट शटडाउन नागरिकों के मूल अधिकारों का कहॉ तक उल्लंघन करता हैं इस पर प्रकाश डाला गया है।

शब्द कुंजी – इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट का मौलिक अधिकार।

इंटरनेट शटडाउन क्या है ?

इंटरनेट शटडाउन इंटरनेट या इलेक्ट्रिोनिक संचार में जानबूझकर किया गया व्यवधान है जो उन्हें किसी विशिष्ट आबादी के लिए या किसी स्थान विशेष के भीतर पहुँच से वंचित या प्रभावी रूप से अनुपयोगी बना देता है। ऐसा प्राय: सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। इससे मोबाइल इंटरनेट, ब्रांडबैंड इंटरनेट या दोनों ही प्रभावित हो सकते है।

इंटरनेट शटडाउन के प्रकार – मुख्यत: इंटरनेट शटडाउन दो प्रकार के होते है–

1. **निवारक शटडाउन –** इस प्रकार के शटडाउन में कोई घटना घटित होने से पहले ही इंटरनेट बंद कर दिया जाता है जिससे वस्तुस्थिति नियंत्रण में रहे।
2. **प्रतिक्रियात्मक शटडाउन –** इस प्रकार का शटडाउन किसी घटना के घटित होने के बाद में किया जाता है।

भारत में इंटरनेट शटडाउन के कारण – भारत में इंटरनेट शटडाउन के निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं–

1. नागरिक अशांति, विरोध प्रदर्शन, सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए,
2. आंतकवादी गतिविधियों, संभावित खतरे को रोकने के लिए,
3. परीक्षा में कदाचार को रोकने, प्रश्नपत्रों को लीक होने से रोकने के लिए,
4. हेट स्पीच, अफवाहों और फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए,

कुल मिलाकर अधिकांशत: लॉ एवं ऑर्डर बनाए रखने के लिए, विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा अभी तक इंटरनेट शटडाउन किए गए है।

भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित विधि – भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित विधियॉ निम्नलिखित हैं जिनके तहत सरकार द्वारा प्राय: इंटरनेट शटडाउन किया जाता है–

1. **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2), दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन(सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा)नियम 2017 के साथ पठित –** ये नियम संघ या राज्य के गृह सचिव को सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामलें में किसी भी टेलीग्रॉफ सेवा जिसमें इंटरनेट भी शामिल है को निलंबित

करने का आदेश देने की अनुमति देते है। ऐसे आदेश की समीक्षा पॉच दिन के भीतर एक समिति द्वारा की जानी चाहिए और यह 15 दिनों से अधिक तक लागू नहीं रह सकता। किसी अत्यावश्यक स्थिति में संघ या राज्य के गृह सचिव, संयुक्त सचीव स्तर के या उससे ऊपर के अधिकारी को यह आदेश जारी करने के लिए अधिकृत कर सकते है।

2. **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 –** यह धारा एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट(जिसे राज्य सरकार द्वारा विशेष शक्ति सौपी गई हो)को जहॉ लोक शांति भंग हो रही हो या होने की संभावना हो या जहॉ बलवे या दंगे की संभावना हो वहॉ उसका निवारण करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति देती है। ऐसे आदेशों में किसी क्षेत्र विशेष में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए इंटरनेट सेवाओं का निलंबन भी शामिल हो सकता है।

3. **सूचना प्रोधोगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69क –** यह धारा केंद्र सरकार को इंटरनेट पर किसी भी ऐसी सूचना तक पहुॅच को अवरूद्ध करने का अधिकार देती है जिसे वह भारत की सुप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा लोक व्यवस्था या शालीनता या किसी अपराध को उकसाने के हानिकारक मानती है। हॉलाकि यह धारा केवल विशिष्ट वेबसाइटों या कंटेट को अवरूद्ध करने पर लागू होती है, संपूर्ण इंटरनेट पर नहीं।

इंटरनेट शटडाउन के प्रमुख प्रभाव :

1. **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सूचना के अधिकार पर प्रभाव –** इंटरनेट शटडाउन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) तथा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अतिरिक्त यह सूचना के अधिकार पर भी प्रतिबंध लगाता है।

2. **आर्थिक प्रभाव –** इंटरनेट शटडाउन से आर्थिक नुकसान भी होता है तथा ऑनलाईन मंचों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहने वाले लोग भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते है। यूके में स्थित डिजिटल प्राइवेसी ग्रुप Top10VPN.com के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2020 में इंटरनेट शटडाउन से भारत को 20,000 करोड़ रूपए से अधिक नुकसान हुआ, 2019 में कश्मीर में 6 माह की इंटरनेट बंदी में 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। वर्ष 2021 में राजस्थान में 1 माह तक इंटरनेट शटडाउन से 800 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ। वर्ष 2022 में देशभर में हुए इंटरनेट शटडाउन से 1500 करोड़ रूपए से अधिक आर्थिक नुकसान हुआ। `Top10UPN' के अनुसार भारत को इंटरनेट शटडाउन के कारण वर्ष 2023 की पहली छमाही में 2,091 करोड़ रूपए की हानि हुई।

3. **शिक्षा में व्यवधान –** कई शिक्षण संस्थाए एवं विद्यार्थी शिक्षा के लिए ऑनलाईन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। इंटरनेट के बंद हो जाने से छात्रों के अध्ययन में व्यवधान होता है।

4. **स्वास्थय सेवाओं एवं ई–कामर्स में व्यवधान –** इंटरनेट शटडाउन से ऑनलाईन उपलब्ध होने वाली आपातकालीन स्वास्थय सेवाए एवं ऑनलाईन वाणिज्यिक सेवाए प्रभावित होती है।

इंटरनेट शटडाउन पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण – इंटरनेट शटडाउन पर न्यायपालिका के दृष्टिकोण को निम्नलिखित निर्णयों के माध्यम से समझा जा सकता है–

1. **अनुराधा भसीन विरूद्ध भारत संघ –**के मामलें में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और व्यापार एवं कारोबार का अधिकार क्रमश: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) और 19(1)(छ) के तहत संरक्षित मूल अधिकार है। न्यायालय ने यह भी माना कि इंटरनेट शटडाउन संवैधानिक समीक्षा के अधीन है और यह अस्थायी वैध, सीमीत दायरे में तथा अनुपातिक होना चाहिए।

2. **फाउडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स विरूद्ध जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश –** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर प्रशासन को इंटरनेट पहुॅच पर सभी मौजूदा प्रतिबंधों की समीक्षा करने का निर्देश दिया और कहा कि इंटरनेट तक पहुॅच का अधिकार एक मूल अधिकार है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए।

3. **फाहिमा शीरीन विरूद्ध केरल राज्य–**के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि इंटरनेट तक पहुॅच का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन शिक्षा का अधिकार, प्राइवेसी के अधिकार के अधीन आता है।

इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क – इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते है–

1. हेटस्पीच, अफवाहों और फेकन्यूज पर रोक लगाने के लिए एवं सांप्रदायिक हिंसा एवं तनाव पर रोक लगाने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाना जरूरी है।

2. बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और नागरिक अशांति से निपटने के लिए एवं लॉ और ऑर्डर बनाए रखने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है।

इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष में तर्क– इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते है–

1. इंटरनेट शटडाउन से इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाएँ एवं वाणिज्यिक सेवाएँ भी प्रभावित होती है।

2. इंटरनेट शटडाउन एक व्यक्ति के मानव अधिकार एवं मूल अधिकारों का हनन है। यह **मानवअधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948** के अनुच्छेद 19 एवं **सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा** के अनुच्छेद 19 में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार एवं **आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा** के अनुच्छेद 13 में दिए गए शिक्षा के अधिकार का अतिक्रमण करता है इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार एवं अनुच्छेद 19(1)(छ) में दिए गए व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता के अधिकार जैसे मूल अधिकारों का भी अतिक्रमण करता है।

क्या इंटरनेट शटडाउन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है?

पूर्व में वर्णित न्यायपालिका के निर्णयों से यह स्पष्ट हैं कि इंटरनेट तक पहुॅच का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार हैं किन्तु 19(1)(क) के अधीन वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आत्यंतिक नहीं है बल्कि यह अनुच्छेद 19(2) में वर्णित युक्तियुक्त निर्बधंनों के अध्याधीन है। अनुच्छेद19(2) के अधीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर आठ आधारों – भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित में,

न्यायालय की अवमानना, मानहानि तथा अपराध के उकसाने, पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते है। अत: यदि इंटरनेट शटडाउन अनुच्छेद 19(2) में दिए गए आधारों पर किया जाता हैं तथा इसकी सूचना प्रकाशित की जाती है एवं यह दिर्घकालिक अवधि के लिए नहीं लगाया जाता है तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हैं किन्तु उपर्युक्त आठ आधारों के अतिरिक्त बिना किसी ठोस वजह के अधिकारविहिन प्राधिकारी द्वारा, बिना किसी पुन: समीक्षा के इंटरनेट शटडाउन दिर्घकालिक अवधि के लिए किया जाता है तो यह नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – अत: निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है के इंटरनेट तक पहुॅच का अधिकार भारतीय नागरिकों का अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन मूल अधिकार है किन्तु यह अधिकार आत्यन्तिक नहीं हैं वरन् इस पर अनुच्छेद 19(2) में दिए गए आधारों पर निंबर्धन लगाए जा सकते है। यदि इन आधारों पर नागरिकों के इंटरनेट के पहुॅच के अधिकार पर निबंर्धन लगाया जाता है तो वह उनके मूल अधिकारों का हनन नहीं है किन्तु बिना किसी ठोस वजह के इंटरनेट शटडाउन नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण है। यदि किसी ठोस वजह से इटरनेट शटडाउन किया जाता है तो वह योग्य प्राधिकारी द्वारा अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए एवं नागरिकों की इसकी सूचना दी जानी चाहिए एवं एक निश्चित अवधि के बाद इंटरनेट बंदी के आदेश की समीक्षा की जानी चाहिए यह किसी भी अवस्था में दिर्घकालिक अवधि के लिए नहीं होना चाहिए तथा यदि कोई अन्य विकल्प मौजूद है तो उसे उपयोग में लाना चाहिए तभी हमारा भारत सही मायनों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी लोकतंत्र कहलाएगा जहॉ सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी हों।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारत का संविधान, डॉ. जय नारायण पाण्डेय, 42 वॉ संस्करण, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, डॉ. ना. वि. परांजपे, 8 वॉ संस्करण, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
3. hhttps://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/digital-blackout-the-shadow-of-internet-shutdowns
4. hhttps://m.economictimes.com/tech/technology/india-had-longest-internet-shutdown-in-2023-report/articleshow/108462868.cms
5. hhttps://www.thehindu.com/sci-tech/technology/india-records-highest-number-of-internet-shutdowns-globally-in-2023/article68178061.ece.

****